राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2470/2025

रविन्द्र कुमार पिंगल

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव पशु पालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर पशु चिकित्सालय, भूतेडा, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण पशु चिकित्सालय, केसरपुरा, मेवाडिया, अजमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 250 किमी. दूर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान के आस पास की संस्थानों में पशुधन सहायक के पद रिक्त होते हुए भी अपीलार्थी का दुरस्थ स्थानान्तरण किया गया है, जो गलत है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के

विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)